न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 59/2024 — निर्णय दिनांक 28.01.2025

ऑनलाईन नम्बर 2024/108

तोलाराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी लोडेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का एक खेत खसरा नम्बर 1152/668 तादादी 3.1100 हैक्टेयर रोही मौजा बीझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरा की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 29.02.2024 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 1152/668 तादादी 3.1100 हैक्टेयर रोही मौजा बीझासर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से तोलराम पुत्र पूरणाराम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम शुरू से ही तोलाराम पुत्र पूर्णाराम रहा है वादगत खेत उक्त खसरा में प्रार्थी का नाम तोलाराम की जगह तोलराम पुत्र पूरणाराम दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम अंकित कर दिया है। प्रार्थी साक्षर व कृषि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम व निवास स्थान की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र में प्रार्थी का नाम तोलाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित चला आ रहा है यानि खसरा नम्बर 1152/668 तादादी 3.1100 हैक्टेयर रोही मौजा बीझासर के राजस्व रिकार्ड को छोड़कर तमाम दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम तोलाराम पुत्र पूर्णाराम निवासी लोडेरा अंकित चला आ रहा है उपरोक्त सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 1152/668 तादादी 3.1100 हैक्टेयर रोही मौजा बीझासर में कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम तोलाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है । वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम तोलराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादग्रस्त खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 29.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

से निवेदन किया कि मेरा नाम तोलाराम पुत्र पूर्णाराम है। तो अप्रार्थी ने मेरा सही नाम करने से इन्कार कर दिया मेरा नाम विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से तोलराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम तोलाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादगत भुमि ग्राम बीझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 1152/668 तादादी 3.1100 हैक्टेयर रोही मौजा बीझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम तोलराम पुत्र पूरणाराम अंकित हुआ है उसकी जगह तोलाराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी लोडेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होनें व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1152/668 तादादी 3.1100 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम तोलराम पुत्र पूरणाराम के स्थान पर शुद्ध नाम तोलाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।.

आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:12 IST
Reason: SelfAttested